व्यवसाय योजना

बुनाई (KNITTING)

छेदाग स्वयं सहायता समूह (खिनंग VFDS)

ग्राम वन विकास समिति
ग्राम पंचायत
वन तकनीकी इकाई
मण्डलीय प्रबंधन इकाई
वन वृत्त समन्वय इकाई

खिनंग
गोंधला
केलंग वन परिक्षेत्र, केलंग
लाहुल वन मंडल, केलंग
कुल्लू वन वृत्त, कुल्लू

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना
(जाईका वित्तपोषित)

विषय सूचि

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	कार्यकारिणी सारांश	3-4
2	स्वयं सहायता समूह की जानकारी	4-5
3.	ग्राम की भौगोलिक स्थिति	5
4.	समूह के गठन व गतिविधि का परिपेक्ष	5-8
5.	आय सृजन गतिविधि से सम्बंधित उत्पाद का विवरण	8
6.	उत्पादन की प्रक्रिया	9
7	उत्पादन हेतु नियोजन	9
8	विपणन	10
9	श्रम का वितरण	10
10	शक्ति अवसर व जोखिम का ,दुर्बलता ,विश्लेषण	10-11
11	उघम हेतु अनुमानित लागत एवं उत्पाद के विक्रय मूल्य की गणना/ आकलन:	
	अ. पूंजीगत व्यय	11
	ब. आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए)	12-13
	स. उत्पादन की लागत (एक चक्र के लिए)	13
	द. विक्रय मुल्य की गणना / आंकलन	13-14
12	उघम हेतु लागत – लाभ विश्लेषण: (एक चक्र के लिए)	14
13	समूह की वित्तीय आवश्यकता	15
14	समूह की वित्तीय संसाधन	15
15	सम विच्छेदन बिंदु (ब्रेक ईवन प्वाइंट) की गणना	15
16	धनराशी की व्यवस्था	15-16
17	स्वयं सहायता समूह के नियम	16-17
18	समूह का सहमति पत्र व मण्डल प्रबन्धन इकाई की स्वकृति	18
19	स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के फोटोग्राफ	19

1. कार्यकारिणी सारांश

हिमाचल प्रदेश के पश्चिम हिमालय में स्थित है। यह राज्य कुदरती सुंदरता और समृद्धि, संस्कृति व धार्मिक धरोहर से भरपूर है। राज्य में विविध पारितंत्र, नदियों, घाटियों पाई जाती है। इसकी आबादी 70 लाख के करीब है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग कि० मी० है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक

पहाड़ियों से लेकर मध्य हिमालय का क्षेत्र के ऊँचाई व और ठंडे जोन का क्षेत्र पाया जाता है। राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 7 ज़िलों में हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन और आजीविका सुधार परियोजना जाईका (JICA) के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही थी। जिसमे लाहौल व स्पित्ति जिला भी शामिल है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों से काँगड़ा ज़िला को भी परियोजना के अंतर्गत लिया गया है। लाहौल मंडल में केलंग वन परिक्षेत्रों में स्थापित ग्राम वन विकास समिति में इस परियोजना में ग्राम वन विकास समितियों का गठन किया गया है और खिनंग ग्राम वन विकास समिति में छेदाग स्वयं सहायता समूह जो पूर्व में गठित था को परियोजना में समूह की सहमति से शामिल किया गया । इस स्वयं सहायता समूह में 14 महिलाएं सदस्य बनी हैं । ये सभी महिलाएं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखती हैं।

उप-समिति के लोगों का मुख्य व्यवसाय नकदी फसलों की खेती और कृषि है। अटल टनल रोहतांग के बनने के पश्चात् पर्यटन की भी संभावनाएं बढ़ी हैं। परन्तु आय का अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए स्वयं सहायता समूह छेदाग ने मशीन से बुनाई का कार्य करके अपनी आजीविका बढाने का निर्णय लिया है। यद्यपि इस स्वयं सहायता समूह का 01.01.2016 को गठन किया गया था लेकिन इन्होंने परियोजना की जानकारी मिलने पर हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना (जाईका वित्तपोषित) से जुड़ने का निर्णय लिया । इस समूह में कुल 14 सदस्य हैं और सभी महिलाएं है। इस समान रूचि समूह ने विस्तार से चर्चा करने पर चर्चा करने के उपरांत स्थानीय प्रचलन एवं नवीनतम फ़ेशन के अनुसार धागों से निर्मित महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के गरम वस्त्रों की बुनाई करने का निर्णय लिया है। लाहौली के मोज़े और दस्ताने स्थानीय भेड़ के ऊन से बने होते हैं। ऊन से धागा बनाने का काम अधिकतर महिलाएं ही करती हैं। ऊन की सफाई, कार्डिंग, कताई आदि से बुनाई तक महिलाएं करती हैं जोकि बहुत परिश्रम का काम है। परम्परागत लाहौली जुराबों को चार सिलायियों, जो दोनों और से नोकीली होती हैं, का उपयोग करके अलग अलग भागों में बुना जाता है। पहले कफ बुना जाता है, फिर पैर का ऊपरी भाग और अंत में एड़ी को बुना जाता है। पैर के ऊपरी हिस्से को आठ रंगों के धागों का उपयोग करके एक पारंपरिक व आकर्षक पैटर्न में बुना जाता है, जिसे स्थानीय बोली में 'दशी' कहा जाता है, जिसमें कई प्रकार के ज्यामीतीय आकर के पैटर्न शामिल होते हैं। प्रत्येक 'दशी' को अलग-अलग रंगों में चार या पांच पंक्तियों में रखा जाता है।

लाहोल में बुनाई का इतिहास जानने की कोशिश करें तो ज्ञात होता है कि1850 के दशक में मोराविियन मिशनरियों के आगमन के साथ लाहौल में बुनाई शुरू हुई। मिशनरियों की पत्नियों, विशेष

रूप से मारिया हेडे ने केलंग में पहला संगठित बुनाई स्कूल स्थापित किया। स्कूल ने स्थानीय महिलाओं को अपने बुनाई कौशल को परिष्कृत करने, स्वदेशी रूपांकनों को नया स्वरूप देने और अपने उत्पादों के व्यावसायीकरण के लिए एक मंच उपलब्ध किया। कौशल और ज्ञान के इस रचनात्मक आदान-प्रदान ने पीढ़ियों से बुनाई के शिल्प को मजबूत करने और बनाए रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। लाहोल की महिलाओं ने इस ज्ञान और कला को सदियों से जीवित रखा है।

अधिकांश महिलाएं हाथ से बुनाई में दक्ष होती हैं। लाहौल और स्पीति जिले के स्थानीय हाथ से बुने मोजे और दस्ताने ने भौगोलिक संकेत (GI) टैग हासिल किया है। लाहौल-स्पीति सोसाइटी, एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन, को भौगोलिक संकेत "लाहौली बुने हुए मोजे और दस्ताने" के पंजीकृत मालिक का दर्जा मिला है।

परियोजना की सहायता से प्रारम्भ में मशीनों पर स्वेटर, कोटी, मफ़लर, टोपी व जुराब इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसपर लगभग 5000 रु० की राशी प्रति सदस्य पर एक महीने के प्रशिक्षण पर खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। क्यों कि सभी महिलाएं अनुसूचित जनजाति मे सम्बन्ध रखती हैं अतः पूंजीगत व्यय का 75% भाग परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। सभी महिलाओं ने यह माना है कि मशीनों से बुनाई की गति और सफाई हाथ की बुनाई से अधिक होगी। इससे वे कम समय में अधिक वस्तुओं की बुनाई कर पाएंगी। अतः उन्होंने बुनाई की स्वचालित/कार्ड वाली मशीनों की मांग रखी है। इसके अतिरिक्त समूह को 100,000/- रु० रिवॉल्विंग फण्ड दिया जाएगा। रिवॉल्विंग फण्ड से उन्हें आवश्यकता पड़ने पर बैंक से ऋण लेने में सहायता मिलेगी या आवर्ती व्यय का प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण ये महिलाएं बैंक ऋण लेने में संकोच कर रही हैं। अतः इन्होंने आवश्यक पूंजीगत व्यय को नकद जमा करके स्वयं उठाने का निर्णय लिया है। बैंक से ऋण लेने की दशा में ऋण पर पड़ने वाले व्याज का 5% भाग भी परियोजना से सीधे बैंक को अदा किया जायेगा। समूह ने तय किया है कि सभी सदस्य समूह के नियम व शर्तों के अनुसार कार्यों का आपसी वंटवारा करेगे तथा समान रूप से कार्य के अनुसार लाभांश का वंटवारा करेंगे

लाहोल उपमंडल के सदस्यों के पास आय सृजन की इस गतिविधि पर काम करने के लिए नवम्बर से मार्च महीनों पर्याप्त समय होगा जबकि अन्य महीनों में खेतों का काम चरम पर होने के कारण सर्दी के महीनों की तुलना में कम समय मिलेगा महिलाएं इस प्रकार से समूह के सदस्य।औसतन प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकाल कर महिलाएं इस गतिविधि को चलाएंगी।

2. स्वयं सहायता समूह की जानकारी

2.1	स्वयं सहायता समूह का नाम	छेदाग
2.2	स्वयं सहायता समूह का एम आई एस कोड	-
2.3	ग्राम वन विकास समिति का नाम	खिनंग
2.4	वन तकनीकी इकाई	वन परिक्षेत्र, केलांग
2.5	मण्डलीय प्रबंधन इकाई	लाहोल वन मंडल, केलांग
2.6	गाँव	खिनंग
2.7	विकास खण्ड	केलंग
2.8	ज़िला	लाहुल व स्पिति
2.9	समूह के सदस्यों की संख्या	14
2.10	समूह के गठन की तिथि	01.01.2016
2.11	समूह के मासिक वचत की दर	100/-
2.12	बैंक तथा शाखा का नाम	भारतीय स्टेट बैंक, गोंधला
2.13	बैंक खाता संख्या	35498324825
2.14	समूह की कुल वचत	35,000/- रु०
2.15	समूह द्वारा सदस्यों को दिया गया ऋण	-
2.16	समूह के सदस्यों द्वारा वापिस किये ऋण की स्थिति	ऋण नहीं लिया

खिनांग ग्राम वन विकास समिति के छेदांग स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

क्र. सं.	नाम सुश्री/श्रीमती	पति का नाम श्री	पद	गाँव	आयु	लिंग	श्रेणी	सम्पर्क
1	टशी यांग्जोम	निर्मल चन्द	प्रधान	खिनंग	49	स्त्री	अनु.जनजाति	8968317229
2	सुनीता देवी	दुनी चन्द	सचिव	खिनंग	44	स्त्री	अनु.जनजाति	8580629799
3	सुमन	राकेश लाल	कोषाध्यक्ष	खिनंग	43	स्त्री	अनु.जनजाति	9418428989
4	निर्मला देवी	हीरा लाल	सदस्य	खिनंग	57	स्त्री	अनु.जनजाति	7876409791
5	फुन्चोग डोलमा	राम सिंह	सदस्य	खिनंग	56	स्त्री	अनु.जनजाति	8360230627
6	रिगजिन डोलमा	गोविन्द	सदस्य	खिनंग	56	स्त्री	अनु.जनजाति	7876850381
7	कल्ज़ंग अंगमो	छेरिंग अंगरूप	सदस्य	खिनंग	73	स्त्री	अनु.जनजाति	7807871946
8	कमला	हिशे रिगजिन	सदस्य	खिनंग	52	स्त्री	अनु.जनजाति	7876582130
9	फुन्चोग डोलमा	गणेश लाल	सदस्य	खिनंग	54	स्त्री	अनु.जनजाति	9418979207
10	डोलकर	लाल चन्द	सदस्य	खिनंग	66	स्त्री	अनु.जनजाति	9459102824
11	सुनीता	अशोक कुमार	सदस्य	खिनंग	40	स्त्री	अनु.जनजाति	8580902110
12	सोनम डोलमा	सोहन लाल	सदस्य	खिनंग	66	स्त्री	अनु.जनजाति	9418464505
13	अंगमो	सोम देव	सदस्य	खिनंग	66	स्त्री	अनु.जनजाति	7876593466
14	छोकिद	हरी सिंह	सदस्य	खिनंग	66	स्त्री	अनु.जनजाति	7876740794

3. गाँव की भौगोलिक स्थिति

3-1	ज़िला मुख्यालय से दूरी	22 किलोमीटर
3-2	मुख्य सड़क से दूरी	0 km.
3-3	स्थानीय बाज़ार का नाम व दूरी	कुल्लू 70 किलोमीटर भुन्तर 80 किलोमीटर मनाली 30 किलोमीटर
3-4	मुख्य बाज़ार से दूरी	यथोपरी
3-5	अन्य मुख्य शहरों व कस्वों से दूरी	पतलीकूहल 50 किलोमीटर
3-6	बाज़ार जहाँ उत्पादों की विक्री की जाएगी	भुन्तर, कुल्लू, मनाली, पतलीकूहल
3-7	गाँव से सम्बन्धित अन्य कोई विशिष्टता जो समूह की गतिविधि से सम्बंधित हो	सभी महिलाएं हाथ की बुनाई में दक्ष हैं

4. समूह के गठन व गतिविधि का परिपेक्ष

(क) व्यवसाय योजना की आवश्यता क्यों ?

खिनंग गाँव जो कि ग्राम वन विकास समिति, खिनंग में पड़ता है, में महिलाओं का छेदाग स्वयं सहायता समूह का गठन वर्ष 2016 में हुआ था लेकिन आजीविका के साधन बढ़ाने के बारे इस परम्परागत गतिविधी पर कहीं से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। परियोजना के कार्य की शुरुआत में लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें परियोजना में इस प्रकार के समूह को परियोजना द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की व्यवस्था के बारे बताया गया व महिलाओं के रूचि दिखने पर परियोजना में स्वयं सहायता समूह को शामिल किया गया । उन्हें ज्ञात है कि बुनाई की मशीनों से प्रत्येक वस्तु को बनाने में कम समय लगेगा। महिलाओं के पास बुनाई की मशीन नहीं है और न ही मशीन की बुनाई में प्रशिक्षित है। इन कारणों से अपनी आजीविका को इस कार्य में लगे समय के अनुपात में नहीं बढ़ा पा रही है। इसीलिए महिलाओं ने समूह के माध्यम से परियोजना से बुनाई की मशीनों तथा उचित प्रशिक्षण की मांग की है।

(ख) व्यवसाय योजना के उदेश्य :

- समूह की सभी सदस्यों की उन्नत क्षमता का निर्माण करना।
- समूह के लिए निरंतर आय के साधन उपलब्ध कराना।
- उत्पाद को उचित बाज़ार से जोड़ना।
- सभी सदस्यों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना।
- बुनाई की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों को बढावा देना।

- आजीविका की बढोतरी।

(ग) व्यवसाय योजना में निम्न कार्य शामिल हैं :

महिला व पुरुषों के स्वेटर, कोटी, जुराब, मफ़लर, टोपी, बच्चों के गरम वस्त्र आदि की मशीन पर बुनाई करेंगे।

(घ) व्यवसाय योजना के कार्यों का विवरण :

(1) सामुदायिक गतिशीलता :इसके अंतर्गत ग्रामीणों में जागरूकता एवं सामुदायिक गतिशीलता के उपरान्त आजीविका वर्धन के विकल्प का चयन तथा प्रोत्साहन दिया गया है।

(2) समूह का निर्माण : स्वयं सहायता समूह का गठन पूर्व में हो चूका था परन्तु उन्हें परियोजना से मिलने वाली सुविधाओं से अवगत करवाया गया। समूह की सदस्यों की सहमती से समूह के लिए नियम एवं शर्ते निर्धारित करके उन्हें लागू करने का प्रावधान किया गया है।

(3) क्षमता का निर्माण : लाभार्थियों की क्षमता निर्माण हेतु उनका उचित प्रशिक्षण करवाया जाना आवश्यक है जिस पर होने वाले व्यय का प्राबधान परियोजना द्वारा किया जाएगा।

(4) सिलाई मशीन इत्यादि का वितरण : समूह के सभी सदस्यों को अच्छी किस्म की मशीने उपलब्ध करवाई जायेंगी ताकि कम समय में अधिक कार्य कर सके तथा अधिक विक्रय योग्य सफाई भी उत्पादों में दिखे ।

(5) बाज़ार से जोड़ना : महिलाओं के अनुसार प्रारंभ में वे अपने गाँव तथा आस पास के गाँव में रहने वाले लोगों के लिए तथ बच्चों के लिए बुनाई का काम करेंगी। जिससे उनके समूह की आय होने लगेगी। इस के पश्चात् वे बाज़ार से मांग के अनुसार अलग अलग तरह के डिजाईन के पुरुषों, महिलाओं व बच्चों के लिए गरम धागों से बुने वस्त्र बना कर निकट के बाज़ारों में बेचेंगी। उन्हें लाहोल से बाहर कुल्लू में स्थित बाज़ारों में विक्रय के लिए अवसर भी तलाशनें होंगे और पर्यटकों की पसंद को भी ध्यान में रखना होगा।

(6) वितीय संस्थानों एवं संबधित विभागों से जोड़ना : व्यवसाय को आगे बढाने के लिए समूह को वितीय संस्थानों से जोड़ने का पर्यास किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओं से अवगत करवाया गया है तथा ऋण लेने की अवस्था में परियोजना द्वारा बैंकों से जोड़ा जाएगा। ऋण पर लगने वाले ब्याज का 5% हिस्सा भी परियोजना की और से सीधे बैंक को चुकाया जायेगा।

(7) बाज़ार की जानकारी : बुने हुए वस्त्रों को मांग के अनुसार बनाने की संभावनाओं को तलाशा जायेगा आस पास के गाँव में और कुल्लू के निकट के कस्बों में विक्रय किया जायेगा । समय समय पर लगने वाले हस्तशिल्प की प्रदर्शनियों भी में स्टाल लगाये जायेंगे।

(8) निगरानी का तरीका : व्यवसाय योजना शुरू होने से पहले लाभार्थियों का आधार रेखा सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके हर छः महीने अथवा साल के बाद निम्न मापदण्डों पर आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा :

क. मांग में बढ़ोतरी व बाज़ार में उत्पादन की स्वीकार्यता।

ख. बेचे गए उत्पाद में बढ़ोतरी।

ग. समूह के सदस्यों द्वारा उनकी गतिविधि में दिए जाने वाले औसत समय में वृद्धि।

घ. समूह/ प्रति सदस्य आय में बढ़ोतरी।

ग्राम वन विकास समिति की कार्यकारिणी एवं समिति की सामाजिक लेखापरीक्षण कमेटी (Social audit Committee) समय समय पर समूह की गतिविधि के आकलन करते रहेंगे।

(9) अपेक्षित सहायता एवं संसाधन :

क. परियोजना द्वारा पूंजीगत व्यय की 75% राशी सहायता दी जाएगी, शेष भाग सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवर्ती व्यय को समूह अपनी वचत राशी से, रिवॉल्विंग फण्ड से अथवा बैंक ऋण ले कर कार्य को आगे बढ़ाएगा।

ख. तकनीकी सहायता गाँव में ही मास्टर ट्रेनर लगाकर परियोजना द्वारा उचित प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाएगा।

(10) अनुमानित लाभ :

क महिलायों के लिए गाँव स्तर पर रोज़गार उपलब्ध होगा।

ख इस गतिविधि पर अन्य व्यस्तताओं से निकले गए थोड़े बहुत समय को उनकी कमाई में उसी अनुपात में वृद्धि करने की सुविधा देगा।

ग समूह के सभी सदस्यों के लिए आजीविका के साधन में वृद्धि का दीर्घ कालीन एवं निरंतर साधन उपलब्ध होगा।

5. आय सृजन गतिविधि से सम्बंधित उत्पादों का विवरण

5.1	उत्पाद का नाम	कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, व मुख्यतः जुराबे इत्यादि
5.2	उत्पात की पहचान पद्धति	बाज़ार की मांग तथा समूह में विचार विमर्श के अनुसार निर्णय लेंगी।
5.3	स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सहमति	सहमति पत्र संलगन है।

6. उत्पादन की प्रक्रिया

सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को परियोजना द्वारा कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि की मशीन पर बुनाई का प्रशिक्षण किसी कुशल संस्था अथवा संस्थान द्वारा दिया जाएगा I इस समूह की सभी 14 सदस्य यह कार्य करेंगी I प्रशिक्षण के उपरान्त समूह इस कार्य को मांग के अनुसार अधिक स्तर पर करेंगी I

1. <u>ऊनी कोटी</u>: - समूह के 2 सदस्य डिजाईन वाली कोटी की बुनाई का कार्य करेंगे अनुमान है कि प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 2 दिन में 1 कोटी तैयार करेगा। इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 30 कोटियाँ बना सकती हैं।

2. <u>ऊनी स्वेटर</u> : - समूह के 2 सदस्य डिजाईन वाली स्वेटरों की बुनाई का कार्य करेंगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 2 दिन में 1 स्वेटर तैयार करेंगे। इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 30 स्वेटर बना सकती हैं।

3. <u>बच्चों के ऊनी सेट</u>: - समूह के तीन सदस्य डिजाईन वाले बच्चों के सेट की बुनाई का कार्य करेगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 2 बच्चों के सेट तैयार करेगी। इस प्रकार से तीन सदस्य एक माह में 90 सेट बना सकती हैं।

4. <u>हाथ की कताई के धागे से बनाई जुराबे</u>:- हाथ की कताई से बने उन के धागे की जुराबें जिन के ऊपरी हिस्से में पारंपरिक लाहोली ज्यामीतीय आकार के डिज़ाईन जिन्हे "दशी" कहते हैं, की बाज़ार में अत्यधिक मांग है। समूह के पांच सदस्य डिजाईन वाली जुराबों की बुनाई का कार्य करेगी। अनुमान है कि प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 3 जुराबों के जोड़े तैयार करेगी। इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 225 जुराबों के जोड़े बना सकती हैं।

5. ऊनी टोपी: - समूह के दो सदस्य डिजाईन वाली टोपी की बुनाई का कार्य करेगी ५ प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 4 टोपी तैयार करेगी ५ इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 120 टोपियाँ बना सकती हैं ५

6. बच्चों के ऊनी जुराब/ दस्ताने:- समूह की दो सदस्य बच्चों के ऊनी जुराब/ दस्ताने बुनने का काम करेंगी। अनुमान है कि हर महीने 15 दिहाड़ी/ कार्यदिवस लगा कर वे 150 छोटी जुरावें या दस्ताने बना सकती हैं।

7. उत्पादन हेतु नियोजन

7.1	प्रति माह कार्य दिवस	(एक दिन में औसतन 4-5 घंटे काम करने पर दो दिन = 1 दिहाड़ी) अर्थात 15 कार्यदिवस प्रतिमाह प्रति सदस्य
7.2	प्रति माह काम करने वाले व्यक्ति	14 महिलाएं (210 दिहाड़ीयां)
7.3	कच्चे माल का स्रोत	केलंग अथवा कुल्लू
7.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	कुल्लू

8 विपणन

8.1	संभावित कार्यक्षेत्र	समीप के गाँव व समीप के बाज़ार सिस्सू, केलंग, मनाली, कुल्लू आदि
8.2	संभावित कार्यों का अनुमान	कोटी, स्वेटर, दस्ताने , टोपी, जुरावे इत्यादि।
8.3	ऋतू परिवर्तन अनुसार कार्य की संभावना	यह कार्य साल भर होगा यद्यपि गर्मियों के लगभग चार माह मांग कम होगी ।
8.4	चिन्हित ग्राहक	गाँव व कस्बों की महिलाऐं, पुरुष व बच्चे। अधिकांश तैयार वस्तुओं के क्रेता भारतीय या विदेशी पर्यटक होंगे।
8.5	कार्य की उपलब्धता हेतु रणनीति	सीधा सम्पर्क व स्थापित हस्तकला के शो रूम, दुकानों में उत्पाद की विक्री।
8.6	प्राथमिकतायें	कोटी, स्वेटर, दस्ताने, मफ़लर, टोपी, जुराबे इत्यादि इस के अतिरिक्त गरम धागों के मफ़लर, बच्चों के सेट, स्कार्फ़, कनपट्टी आदि की बुनाई भी मांग के अनुसार करेंगी।

9. श्रम का वितरण

समूह के सदस्य आपसी सहमति से कार्यो का बटवारा करेंगे तथा किये गये कार्य के अनुपात में प्राप्त आय का वितरण करेंगे। इस समय विचार है कि स्वयं सहयता समूह के सभी सदस्य हर प्रकार का काम करेंगे परन्तु बाज़ार की मांग के अनुसार बुनी जाने वाली वस्तुओं में क्या क्या बुनना है, निर्भर करेगा। इस व्यवसाय योजना में तैयार किये जाने वाले वस्तुओं की संख्या सांकेतिक मात्र है जो बाज़ार की मांग के अनुसार निर्धारित होगा। कार्य का बटवारा एवं प्रत्येक मदस्य की रूचि, दक्षता तथा दिए जाने वाले समय पर निर्भर करेगा। सभी सदस्य बारी बारी लेन देन का हिसाब रखेंगे।

10. शक्ति, दुर्बलता, अवसर व जोखिम का विश्लेषण (SWOT Analysis)

शक्ति :

1. सभी समूह सदस्य सामान व् अनुकूल सोच रखते है।
2. समूह के सदस्य जो पहले छोटे पैमाने पर हाथ से बुनाई का कार्य कर रहे थे अब अधिक मात्रा में कार्य करेंगी।

दुर्बलता:

1. विपणन का अनुभव नहीं है ।
2. समूह में मशीन पर कार्य करने का अनुभव नहीं है।

अवसर:

1. समूह को बड़े स्तर पर काम मिल सकता है यदि वे सफाई, गुणवत्ता आदि पर ध्यान रखे।
2. स्थानीय बाज़ारों में गरम वस्त्रों की मांग ठंडा क्षेत्र होने तथा पर्यटकों का आवागमन होने के कारण अधिक है।
3. परियोजना द्वारा बुनाई की मशीनें इत्यादि खरीदने के लिए अनुसूचित जाति / जनजाति तथा गरीब सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 75% तथा सामान्य श्रेणी महिला को 50% सहायता उपलब्ध है ।
4. परियोजना द्वारा बुनाई का प्रशिक्षण मौके पर दक्ष प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा करवाया जाएगा।

जोखिम:

1. समूह में आन्तरिक टकराव होने पर समूह का कार्य प्रभावित हो सकता है।
2. मांग व पारदर्शिता के अभाव में समूह टूटने की सम्भावना हो सकती है।
3. फेशन के अनुसार परिवर्तन न करें तो काम की मात्रा प्रभावित हो सकती है।
4. कोटी व स्वेटर के क्षेत्र में अनुभवी व कुशल कारीगरों से स्पर्धा में खरे उतरना होगा।

11. उद्यम हेतु अनुमानित लागत एवं उत्पाद के विक्रय मूल्य की गणना/आकलन :

अ) पूंजीगत व्यय

क्रमाक	गतिविधि	संख्या	अनुमानित मुल्य	कुल व्यय	परियोजना अंश	लाभार्थी अंश
1	बुनाई की स्वचालित/कार्ड वाली मशीन	14	26000	364000	273000	91000
	योग	14		364000	273000	91000

* अन्य छोटा आवश्यक समान महिलाएं स्वयं उपलब्ध कर रही हैं।

* उपरोक्त पूंजीगत व्यय का लाभार्थी अंश नकदी के रूप में स्वयं वहन करेंगे।

(ब) आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए एक महीना लिया गया है)

क्र. सं.	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशी
1.	परिवहन खर्चा	प्रति माह	-	L/S	1500
2.	कमरे का किराया	प्रति माह		L/S	500
क) ऊनी कोटी (30 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	20	600	12000
2	अन्य बटन आदि		30	L/S	275
3	मजदूरी	दिहाडी	30	300	9000
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 5/- रु. प्रति		30	5	150
	कुल				**21425**
ख) ऊनी स्वेटर (30 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	22	600	13200
2	अन्य बटन आदि		30	L/S	300
3	मजदूरी	दिहाडी	30	300	9000
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 5/- रु. प्रति		30	5	150
	कुल				**22650**

ग) बच्चों के ऊनी सेट (90 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	35	600	21000
2	अन्य बटन, इलास्टिक आदि		90	L/S	90
3	मजदूरी	दिहाडी	45	300	13500
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पेकजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 4/- रु. प्रति		90	4	360
	कुल				**34950**
घ) हाथ की कताई के धागे से बनाई जुराबे (225 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	22	700	15400
2	अलग रंगों का नायलॉन धागा	किलोग्राम	4	250	1000
3	मजदूरी	दिहाडी	75	300	22500
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 2/- रु. प्रति		225	2	450
	कुल				**39350**
ड) ऊनी टोपियाँ (120 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	18	600	10800
2	मजदूरी	दिहाडी	30	300	9000
3	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली इत्यादि 2/- रु. प्रति		120	2	240
	कुल				**20040**
च) बच्चों के ऊनी जुराब/दस्ताने (150 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	10	600	6000
2	मजदूरी	दिहाडी	30	300	9000
3	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली इत्यादि 2/- रु. प्रति		150	2	300
	कुल				**15300**
	योग आवर्ती लागत				**153715**
	योग कुल आवर्ती व्यय (153715+2000)				**155715**
	आवर्ती व्यय (आवर्ती लागत-मजदूरी) = 155715-72000				**83715**
	कुल व्यवसाय योजना लागत (पूंजीगत व्यय+आवर्ती व्यय) =364000+83715				**447715**

(स) उत्पादन में लागत (एक चक्र के लिए)

क्र. सं.	विवरण	धनराशी
1	कुल आवर्ती व्यय	83715
2	पूंजीगत व्यय पर 10% मूल्य ह्रास	3035
	योग	**86750**

(द) विक्रय मूल्य की गणना / आंकलन (प्रतिचक्र) :

क्र.सं.	वस्तु का नाम	उत्पादन संख्या	मजदूरी	औसत अन्य खर्चे	कुल धन राशी	प्रति नग लागत
1	कोटी	30	9000	12425	21425	714
2	स्वेटर	30	9000	13650	22650	755
3	बच्चों के सेट	90	13500	21450	34950	388
4	जुराबे	225	22500	16850	39350	175
5	टोपी	120	9000	11040	20040	167
6	बच्चों के जुराब/दस्ताने	150	9000	6300	15300	102
	योग	**645**	**72000**	**81715**	**153715**	

- तैयार गरम वस्त्रों/ सेट्स की संख्या मात्र सांकेतिक है जिसकी संख्या मांग के आधार पर तय होगा।
- स्वचालित मशीनों के उपयोग से तैयार वस्तुओं की संख्या उपरोक्त अनुमान से अधिक होगी।

	निर्धारित लाभ तथा कार्य से अनुमानित आमदानी					
		वस्तु संख्या	लागत (श्रम + खर्चे)	प्राप्य/विक्रय राशि	लाभ %	कुल राशि
1	कोटी	30	714	1000	40	30000
2	स्वेटर	30	755	1100	46	33000
3	बच्चों के सेट	90	388	600	55	54000
4	जुराबे	225	175	300	71	67500
5	टोपी	120	167	225	35	27000
6	बच्चों के जुराब/दस्ताने	150	102	150	47	22500
	योग	**645**				**234000**

12. उद्यम हेतु लागत – लाभ विश्लेषण (एक चक्र के लिए) :

क्र.सं.	मद	धनराशी
1	पूंजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास	3035
2	आवर्ती व्यय	
क	किराया	500
ख	परिवहन	1500
ग	कच्चा माल धागा आदि	79965
घ	मजदूरी	72000
ड	औसत खर्चा रिपेयर मशीन , पैकेजिंग ,स्टीकर , विजली इत्यादि	1750

		योग	158750
	3	कुल उत्पादन संख्या	645
	5	उत्पादन की बुनाई की बिक्री से प्रति माह आय	234000
	6	कुल लाभ = 234000- (3035+158750)	72215
7		उत्पाद की बिक्री से सकल लाभ = कुल लाभ + (मजदूरी + कमरा किराया) = (72215 +72000 + 500)	144715
8		एक चक्र के उपरान्त लाभ के रूप में सदस्यों के मध्य वितरण हेतु उपलब्ध धनराशी = उत्पाद से आय - (मूलधन व ब्याज वापसी + दुसरे चक्र हेतु आवश्यक आवर्ती लागत - मजदूरी) = 234000- (0+83715 – 72000)	78285
9		उत्पादन आधा होने पर समूह में बाँटनें योग्य राशि =उत्पाद बिक्री का 50%- (औसत मूलधन व ब्याज़ वापसी +दुसरे चक्र हेतु आवर्ती व्यय)=117000- (0+83715)	33285

- शुद्ध लाभ प्रति सदस्य का वितरण सदस्यों के मध्य सहमत अनुपात के आधार पर किया जाएगा ।

13. समूह की वित्तीय आवश्यकता :

क्र.सं.	मद	धनराशी (रु)
1	पूंजीगत व्यय	364000
2	आवर्ती व्यय का 50%	41858
	योग	**405858**

14. समूह के वित्तीय संसाधन :

क्र.सं.	संसाधन का विवरण	धनराशी
1	पूंजीगत व्यय पर परियोजना द्वारा सहायता राशि	273000
2	लाभार्थी अंश	91000
3	समूह की आंतरिक बचत	35000
	योग	**399000**
	अतिरिक्त राशि की आवश्यकता =405858-399000	**6858 or say=7000**

15. सम विच्छेदन बिंदु (ब्रेक ईवन पॉइंट) की गणना :

ब्रेक ईवन पॉइंट = पूंजीगत व्यय / प्रति उत्पाद की बिक्री से लाभ

=364000/ 1016= 358 दिन अर्थात लगभग बारह माह

उपरोक्त अनुपात में विभिन्न प्रकार के 645 सेट सिलाई करके देने पर ब्रेक ईवन पॉइंट 358 दिनों में प्राप्त होगा अर्थात इस गतिविधि में लगे पूंजीगत लागत हेतु व्यय राशी को एक साल में प्राप्त किया जा सकेगा।

16. धनराशी की व्यवस्था :

सदस्यों ने निर्णय लिया है कि पूंजीगत व्यय के लाभार्थी के हिस्से की 25% धनराशी जो कि 91000/- बनता है, को वे आपस में नकद इकट्ठा करेंगी और आवर्ती व्यय हेतु धन का प्रबंध भी इसी प्रकार से करेंगी। इस प्रकार से उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

17. स्वयं सहायता समूह के नियम :-

समूह द्वारा चयनित आय सृजन गतिविधी : ऊनी धागों से वस्त्रों की बुनाई।

समूह का पता: गाँव खिनांग , जिला लाहौल व स्पिति , हिमाचल प्रदेश।

1. सदस्यों की संख्या: 14 (सभी महिलाएं)
2. समूह के पहली बैठक की तिथी : 01.01.2016
3. सदस्यों को दिए हर सौ रूपए पर 2/- रूपए ब्याज देना होगा।
4. समूह की बैठक महीने में एक बार अवश्य होगी ।
5. समूह के सभी सदस्य एक सौ रूपए की राशी हर महीने जमा करवाएंगी ।
6. समूह की बैठक में हर सदस्य का आना अनिवार्य होगा ।
7. समूह का बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक ,गोंधला में है और खाता संख्या 35498324825 है।
8. समूह के सदस्यों को बैठक में अनुपस्थित रहने का ठोस कारण प्रधान या सचिव को बताना होगा
9. जो सदस्य लगातार तीन बैठक में गैरहाजिर रहेंगे या निर्धारित राशी जमा नहीं करेंगे वे सदस्यता खो सकते हैं।
10. वर्तमान पदाधिकारियों का कार्यकाल पूरा होने पर नए पदाधिकारियों का चुनाव होगा।
11. प्रधान व सचिव बैंक से लें दें कर सकेंगे वशर्ते इस प्रकार के लेन देन का व्योरा मासिक बैठक में सभी के सामने रखना होगा।
12. प्रधान, सचिव या अन्य सदस्य समूह के धन का सही उपयोग करेंगे।
13. यदि किसी सदस्य को समूह छोड़ना होगा तो वे समूह से लिए ऋण का पूरा भुगतान करेंगे ।
14. समूह के कोषाध्यक्ष के पास एक हज़ार रूपए आकस्मिक खर्चों के लिए नकद होने चाहिए
15. हर बैठक की कार्यवाही सदस्यों की उपस्थिति में दर्ज होगी।
16. जिस सदस्य को ऋण लेना है, उन्हें एक सप्ताह पूर्व सूचित करने होगा ।
17. आवश्यकता पड़ने पर सभी सदस्यों को ऋण लेने का अधिकार होगा
18. समूह छोड़ने वाले सदस्य की जमा राशी पर समूह का अधिकार होगा ।

समूह का सहमती पत्र एवं स्वीकृति

आज दिनाकं .... को छेदाग स्वयं सहायता समूह (खिनंग ग्राम वन विकास समिति) की बैठक हुई, बैठक प्रधान श्रीमती टशी यांग्जोम की अध्यक्षता में हुई जिसमे समूह के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आय बढाने के लिए स्वेटर, जुराब, दस्ताने व टोपी आदि की बुनाई करने के लिए हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र व आजीविका सुधार परियोजना (जाईका वित्तपोषित) से जुड़ने की सहमती इससे पूर्व प्रदान की थी तथा उपरोक्त परियोजना की सहायता से सभी सदस्यों द्वारा चयनित की गई गतिविधि जो कि मशीनी बुनाई है, को इसकी व्यवसाय योजना के अनुसार या बाज़ार की मांग के अनुसार सभी सदस्य मिलजुल कर सफल बनायेंगे परियोजना के अंतर्गत समूह के सदस्यों को सभी प्रकार की आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण देने की कृपा की जावे

Sunita
समूह के सचिव के हस्ताक्षर

प्रधान टशी यंगज़ोम
छेदाग स्वय सहायता समूह
समूह के प्रधान के हस्ताक्षर

प्रधान, Suman
खिनंग ग्राम वन विकास समिति

फील्ड तकनीकी यूनिट (FTU)
केलंग (लाहौल व स्पिति)

Range Forest Officer
Keylong

स्वीकृत

Dmu-cum-Division Forest Office
Lahoul at Keylong

वन मंडलाधिकारी, वन मंडलीय प्रबंधन इकाई,
केलंग, ज़िला लाहौल व स्पिति (हि०प्र०)

कोषाध्यक्ष Suman

	हस्ताक्षर
1	फुन्चोग डोलमा
2	रिगज़िन डोलमा
3	Suman
4	फुन्चोग डोलमा
5	डोलकर
6	टशी यंगज़ोम
7	Sunita
8	सोनम डोलमा

17

9	कलज़ंग अंगमो
10	अंगमो
11	Sunita
12	निर्मला
13	चोमिद
14	Kamla

छेदाग स्वयं सहायता समूह (खिनंग VFDS) के सदस्य

टशी यांग्जोम-प्रधान

सुनीता देवी- सचिव

सुमन -कोषाध्यक्ष

निर्मला देवी

फुन्चोग डोलमा

रिगजिन डोलमा

कलज़ंग अंगमो

कमला देवी

फुन्चोग डोलमा

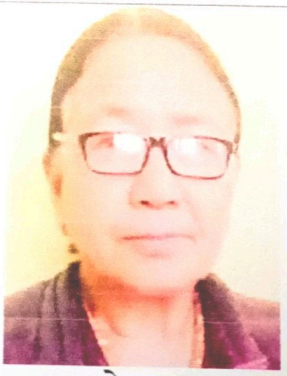

डोलकर

सुनीता देवी

सोनम डोलमा

अंगमो

छोकिद